

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची
सी0एम0पी0 संख्या-128 / 2019

रामगति महतो

..... याचिकाकर्ता

बनाम्

लक्ष्मण महतो एवं अन्य

..... विपक्षीगण

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती अनुभा रावत चौधरी

4 / 06.12.2019

1. याचिकाकर्ताओं की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होता है।
2. याचिकाकर्ताओं को त्रुटियों को दूर करने के लिए 02.01.2020 तक का समय दिया जाता है, विफल होने पर, यह आवेदन खण्डपीठ को संदर्भित किए बिना खारिज हो जाएगा।
3. यदि त्रुटियों को समय के भीतर दूर कर दिया जाता है, तो इस मामले को 03.01.2020 को पोस्ट करें।

(अनुभा रावत चौधरी, न्याया0)